

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 163/2020

अनवान : -

1. रामरतन पुत्र चुन्नीराम जाति विश्नोई निवासी मकान न० 29, लोहा मण्डी विकास नगर, आदमपुर जिला हिसार।

:-वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र चुन्नीराम जाति विश्नोई निवासी मकान न० 179, 180 माडल टाउन, मण्डी आदमपुर त० आदमपुर जिला हिसार।
2. भागवती - मृतक।
3. इन्द्रजीत पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी शेरेंका त० टिब्बी
4. जगदीष पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी शेरेंका त० टिब्बी।
5. कमला पत्नी दलीप सिंह (फौत)  
5/1 निर्मला पत्नी रामकुमार जाति विश्नोई निवासी 1 एलएनपी चक तरडावाला त० व जिला श्री गंगानगर  
5/2 विनोद पुत्र दलीप कुमार जाति विश्नोई निवासी चक 5 सी छोटी त० व जिला श्रीगंगानगर।
6. गीता पत्नी नेकीराम मिस्त्री पुत्री राजाराम जाति विश्नोई निवासी स्टेडियम के पास सुरतगढ़ त० सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. गोमती पत्नी श्री महेन्द्र पुत्री राजाराम जाति विश्नोई निवासी 9 एसडीआर चक विडिया गांधी पोस्ट ऑफिस बडी गांधी त० भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. बनारसी पत्नी मोहरसिंह पुत्री राजाराम जाति विश्नोई निवासी 9 एसडीआर चक विडिया गांधी पोस्ट ऑफिस बडी गांधी त० भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. परमजीत कौर पत्नी जसपाल सिंह जाति जट सिख निवासी कमरानी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. कर्मजीत कौर पत्नी जगतार सिंह जाति जट सिख निवासी कमरानी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री बलविन्द्र सिंह थिन्द व प्रतिवादी वकील हितेन्द्रमोहन सारस्वत अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सादित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी रामरतन पुत्र चुन्नीराम :- रोही मौजा चक 1 एचएमएच के प०न० 172/272 के मु०न० 32 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, किला न० 15/1 की 0.101 है० पूर्वी दिशा 15/2 में .025 है गै०मु० सरता प०न० 173/272 के मु०न० 31 के किला न० 10 की 0.120 है० दक्षिणी दिशा कुल 1.770 है०


प्रतिवादी सं० 1 हेतराम पुत्र चुन्नीराम :- रोही मौजा चक 1 एचएमएच के प०न० 172/271 के मु०न० 23 के किला न० 16/1, 16/2 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 प०न० 173/271 के मु०न० 24 के किला न० 21 प०न० 173/272 के मु०न० 31 के किला न० 1/1, 1/2 व किला न० 10 की 0.127 उत्तरी दिशा की कुल 2.151 है।


प्रतिवादी सं० 2 भागवती, प्रतिवादी सं० 3 इन्द्रजीत पुत्र राजाराम, प्रतिवादी सं० 4 जगदीश पुत्र राजाराम, प्रतिवादी सं० 5 कमला व प्रतिवादी सं० 6 गीता पत्नी नेकीराम, प्रतिवादी सं० 7 गोमती पत्नी महेन्द्र, प्रतिवादी सं० 8 बनारसी पत्नी मोहरसिंह :- रोही मौजा चक 1 एचएमएच के प०न० 174/269 के मु०न० 15 के किला न० 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24 प.न 175/269 के मु०न० 16 के किला न० 11 की कुल 1.518 है।

प्रतिवादी सं० 9 परमजीत कौर पत्नी जसपाल सिंह, प्रतिवादी सं० 10 कर्मजीत कौर पत्नी जगतार सिंह :- रोही मौजा चक 1 एचएमएच के प०न० 172/272 के मु०न० 32 के किला न० 14, किला न० 15/1 की 0.127 है। पश्चिमी दिशा कुल 0.380 है।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सात्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक फलक्टर  
टिब्बी।